DRA Annual International Conference On
Developed India @2047: Global Pathways for Sustainable Socio- Economic, Linguistic, Science and Technological Transformation

Ind. Jr. of Mod. Res. and Rev *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 [Special Issue 1] Year 2026*

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

लैंगिक समानता की ओर भारत के बढ़ते कदम-एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. पूनम प्रजापति
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, हिन्दी विभाग ,श्रीमती आर.डी.शाह आर्ट्स एंड श्रीमती वी.डी.शाह कोमर्स कॉलेज, धोलका ,अहमदाबाद ,गुजरात, भारत

Corresponding Author: * डॉ. पूनम प्रजापति

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21321349

सारांश

लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानवाधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधारस्तंभ भी है। भारत जैसे विकासशील देश में लैंगिक समानता न केवल सामाजिक न्याय का विषय है वरन यह आर्थिक समृद्धि व् सतत विकास के लिए भी अनिवार्य है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तभी समाज और देश का विकास तेजी से हो सकता है। भारत सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें महिलाओं को शिक्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना आदि शामिल है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की 2025 की रिपोर्ट में भारत को 148 देशों में से 131वाँ स्थान दिया गया है, जो इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता है। भारत जैसे पितृसत्ताक देश में लैंगिक समानता प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे सामाजिक रूढ़िवादिता, आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और नीतिगत बदलाव आवश्यक हैं। लैंगिक समानता की दिशा में भारत के प्रयासों में प्रगति अवश्य हुई है लेकिन अभी भी आगे की राह कठिन है । वास्तविक लैंगिक समानता को हासिल करने में भारत को सभी क्षेत्रों जैसे सांस्कृतिक एवं पितृसत्ताक मानदंड, महिलाओं का साक्षरता दर बढ़ाना, वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, महिला अधिकारों व् सुरक्षा के लिए क़ानूनी सुधार, राजनीतिक सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत में महिला कार्यबल में वृद्धि, लैंगिक वेतन दर में समानता आदि पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। दरअसल लैंगिक समानता तब ही प्राप्त हो सकती है जब पुरुषों और महिलाओं- दोनों को सफलता के लिये समान मंच एवं अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ। इस सन्दर्भ में भारत में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और पिछले दशकों में हुए बहुआयामी परिवर्तनों का विश्लेषण करना अतिआवश्यक है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 01-01-2026
- **Accepted:** 24-06-2026
- **Published:** 02-07-2026
- **MRR:**4(SP1); 2026: 253-256
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

प्रजापति पी. लैंगिक समानता की ओर भारत के बढ़ते कदम—एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(SP1):253-256.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, विकासशील, भारत, चुनौतियाँ, महिलाएँ, जागरूकता, पितृसत्ताक, सशक्तिकरण, परिवर्तन, अतिआवश्यक, ग्रामीण, राजनीतिक, अधिकार, योजनाएँ, सांस्कृतिक ।

© 2026 डॉ. पूनम प्रजापति. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारत में पिछले कुछ दशकों में लैंगिक समानता की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। लैंगिक समानता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी समाज या देश के विकास और समृद्धि का आधार निश्चित होता है और इसीलिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों में से एक है 'लैंगिक समानता' । 'स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिये हैं' इस बात को नकारा नहीं जा सकता। किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक स्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों की बराबर भागीदारी अनिवार्य है। दोनों ही एक-दूसरे के पूरक है, न कि प्रतिद्वंदी । दोनों ही राष्ट्र निर्माण में समान भूमिका निभाते हैं ।

भारत में वैदिक काल से लेकर प्रवर्तमान तक महिलाओं की स्थिति में युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं, उनकी स्थिति समाज में सदैव एक जैसी नहीं रही। वैदिक काल में महिलाओं को देवी तुल्य गौरवमय स्थान प्राप्त था । उन्हें शिक्षा का समान अधिकार था, संपत्ति में बराबरी का हक़ था और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति सुदृढ़ थी, लेकिन मध्यकालीन युग में उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाये जाने लगे और स्थिति दयनीय होती गई। विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण व्यवहार ने महिलाओं को उपभोग का साधनमात्र बनाकर रख दिया, जिसके कारण विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ। पितृसत्ताक समाज में पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक और अशिक्षा जैसे व्याप्त दूषणों ने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में देश के समाजसेवियों एवं क्रांतिकारियों ने अत्याचारी समाज व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया और तात्काली अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक आदि के खिलाफ आवाज उठाई जिसका दूरगामी परिणाम आया और महिलाओं की स्थिति में आई गिरावट पर रोक लग गई । स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले महिलाओं की निम्न स्थिति के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, जाति-व्यवस्था, स्त्री नेतृत्व का अभाव, पुरुषों का उनके प्रति अनुचित व्यवहार और स्त्री की केवल माता और गृहिणी की भूमिका आदि थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने और उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करने के अनेक प्रयास किये गए। सरकार द्वारा महिलाओं के विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का सुचारू संचालन किया जाने लगा।

इक्कीसवीं सदी तक आते-आते महिलाओं ने पुन: नए प्रतिमान स्थापित किये और विविध क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल कर नए आयामों को सिर किया। आज धीरे धीरे समाज की मानसिकता में बदलाव आया है और महिलाएँ आज आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी बनती दिखलाई देती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, शैक्षिक, धार्मिक,प्रशासनिक या खेलकूद किसी भी क्षेत्र में स्त्री ने अपनी योग्यता दिखाकर वह पुरुष के कतई निम्न स्तर की नहीं है यह बात सिद्ध की है और नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। यदि किसी भी देश को विकास करना है तो पुरुष के साथ-साथ महिलाओं का उत्थान भी करना होगा तभी समाज का स्वत: विकास होगा। महात्मा गाँधीजी ने कहा है कि एक लड़की की शिक्षा लड़के की शिक्षा की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़के की शिक्षा उसके तक सिमित रहेगी जबकि लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित होगा। वर्तमान समय में शिक्षित महिलाएँ पुरुषों से कदम से कदम मिलकर कार्य करने में सक्षम है लेकिन अनेक स्थानों पर पुरुष प्रधान मानसिकता के वह पीड़ित है और उचित ढंग से स्त्री होने के कारण उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत है यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए हैं लेकिन आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में पहले की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र में उनकी बहुत तरक्की हो रही है।

2. उद्देश्य

1. भारत में वैदिक काल से अब तक की महिलाओं की स्थिति का अति-संक्षिप्त निरूपण करना।
2. भारतीय समाज में लैंगिक असमानता के विभिन्न प्रमुख कारणों को जानना।
3. भारत सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन करना।
4. लैंगिक समानता में आनेवाली चुनौतियों एवं महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की पहचान करना।
5. भारत में लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक सुझाव रेखांकित करने के प्रयास करना।

3. शोध प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध लेख द्वितीयक डेटा (secondary data) जैसे कि प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, अर्धवार्षिक व् वार्षिक रिपोर्ट्स और इन्टरनेट की सहायता के माध्यम से अन्वेषित किया गया है। अध्ययन में गुणात्मक (qualitative) सामग्री-विश्लेषण पद्धति अपनाई गई, जिससे विभिन्न शोधों के निष्कर्षों को वर्गीकृत कर तुलना और व्याख्या की गई है।

मूल लेख

लैंगिक असामनता से तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव से है। महिलाओं को समाजिक और पारिवारिक रुढियों के कारन विकास के कम अवसर प्रदान होते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। भारतीय समाज में शिक्षा, निर्णय क्षमता, रोजगार के अवसर, मानवीय अधिकार इत्यादि जैसे प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक समानता का अभाव देखने मिलता है, जिसका मुख्य और वास्तविक कारण समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक समाज है। महिलाओं के साथ उनके जन्म के साथ ही भेदभाव का सिलसिला शुरु हो जाता है, जो अनेक संघर्षों के बावजूद भी जीवनपर्यंत थोड़े-ज्यादा अंशों में चलता ही रहता है। नित्य घटित होनेवाली कन्या भ्रूणहत्या और आये दिन बलात्कार की क्रूर एवं निर्दयी अमानवीय घटनाएँ इस बात की पुष्टि करते हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की समस्या के लिए अनेक कारण जिम्मेदार है जैसे, पितृसत्तात्मक मानसिकता, संपत्ति पर स्वामित्व, पुत्री को पराये घर का धन समझना, वंश-वृद्धि, स्त्री को दुर्बल रूप में देखना, आर्थिक निर्भरता, दहेज़-प्रथा, जागरूकता का अभाव, बाल-विवाह आदि।

© 2026 डॉ. पूनम प्रजापति. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्यन ने लैंगिक असमानता को निम्नलिखित सात प्रकारों में विभाजित किया है;

1. मृत्यु सम्बन्धी असमानता
2. प्रसूति सम्बन्धी असमानता
3. मौलिक सुविधा सम्बन्धी असमानता
4. विशेष अवसर सम्बन्धी असमानता
5. व्यावसायिक सबंधी असमानता
6. स्वामित्व सम्बन्धी असमानता
7. घरेलु सम्बन्धी असमानता

भारत में स्वतंत्रता के बाद लैंगिक समानता का आन्दोलन प्रखर हुआ है। भारत सरकार भी इस लिंग की असमानता की खाई को मिटाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा विभिन्न घटकों पर काम किया जा रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभन्न आयामों पर समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए 'मिशन शक्ति', शिक्षा के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ो' उद्यमी महिलाओं को आर्थिक सहाय प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना', गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने में सहायता के लिए 'मातृ वंदना योजना', महिलाओं को हिंसात्मक व्यवहार में सहायता के लिए 'वन स्टॉप सेंटर', कामकाजी महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित आवास मिल सके उसके लिए 'सखी निवास', बच्चों और महिलाओं के पोषण और विकास हेतु 'मिशन सक्षम आंगनवाडी', लैंगिक समानता के लिए बजट 'लिंग-संवेदनशील बजट', ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन', महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय महिला आयोग', महिलाओं में डिजिटल साक्षरता लाने और सुरक्षा-जागरूकता लेन के लिए 'डिजिटल प्लेटफोर्म' आदि योजनायें लिंग की असमानता को कम करने और महिलाओं को जागरूक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल हैं ।

लैंगिक समानता के सभी आयामों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रणालियों को विकसित करना अति आवश्यक है । सक्षम प्रणालियों के बिना देश लैंगिक समानता कानूनों व् नीतियों को लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन और व्यय नहीं कर सकता। भारत सरकार ने देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उनको लाभ पहुँचानेवाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किये, जो महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम और उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास तक बढ़ती पहुँच के चलते महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में 'लैंगिक बजट' पर सरकार का खर्च कुल व्यय का 6.8 प्रतिशत था। पिछले दो दशकों का औसत 4.8 रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में लैंगिक बजट का हिस्सा बढ़कर कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हो गया। इसके लिए ₹4.49 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 2024-25 के ₹3.27 लाख करोड़ से 37.25% ज्यादा है। यह लैंगिक बजट की शुरुआत के बाद से अब तक की सर्वाधिक राशि है।

लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की प्रगति

शिक्षा: भारत ने शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें लडकियों का सकल नामांकन अनुपात 94.32% है। महिलाओं के साक्षरता दर में 68% की वृद्धि हुई है, जो स्वतंत्रता के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में 77% हो गई है तथा यह लैंगिक शिक्षा के अंतर को कम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत है।

आर्थिक सशक्तिकरण: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रही है,जिससे महिलाओं को बैंकिंग, बचत और ऋण तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी। इस वित्तीय स्वतंत्रता ने महिलाओं को (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) महत्त्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने और उद्यमशीलता में संलग्न होने की क्षमता प्रदान की है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप इंडिया और MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) जैसी सरकार समर्थित योजनाएँ महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सहायक रही हैं।

कानूनी सुधार: भारत ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधार किये हैं। कानूनी सुधार पेश किये हैं। आपराधिक कानून अधिनियम, 2013 ने यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के लिये दंड को कड़ा कर दिया है । वर्ष 2017 में 26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश की शुरूआत एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जिसने महिलाओं के लिये बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा दिया तथा उन्हें अपनी नौकरी खोने के भय के बिना कार्यबल में बने रहने में सक्षम बनाया।

राजनीतिक सशक्तीकरण: 73 वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दीं और महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK), आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं ने भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों, विशेषकर मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने में काफी प्रगति की है।

भारत में लैंगिक समानता में बाधा डालनेवाली चुनौतियाँ

- भारत का राजनीतिक परिदृश्य महिलाओं को हाशिये पर रखता है, संसद में केवल 13.8% महिला प्रतिनिधित्व है, जो वर्ष 2023 में 14.7% से कम है।
- पिछले कुछ वर्षों में महिला रोज़गार में वृद्धि के बावजूद, सामाजिक मानदंड, बाल देखभाल की कमी, वेतन अंतर आदि महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र की ओर धकेल देते है।
- भारत में लैंगिक वेतन अंतर अभी भी काफी है, महिलाएँ प्रायः समान कार्य के लिये अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम कमाती हैं।

© 2026 डॉ. पूनम प्रजापति. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- भारतीय शिक्षा प्रणाली अपनी सफलताओं के बावजूद भी सार्थक रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने में विफल रही है, जिसका मुख्य कारण सांस्कृतिक और अवसंरचनात्मक अंतराल है।

भारत में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति लाने के सुझाव

- आत्मनिर्भर महिलाएँ घर और बहार दोनों ही जगह निर्णय लेने में सक्षम है इसीलिए धन आवंटित करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उसके लिए ऐसे तंत्र को स्थापित करने की अवश्यकत है जो लाभार्थियों को बिना किसी परेशानियों के वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त हो ।
- लडकियों के जन्म दर, शिक्षा, कौशल विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त करके ही लैंगिक समानता को स्थापित किया जा सकता है और यह भगीरथ कार्य केवल सरकार की ही नहीं वरन सक्रिय समाज सहित नागरिकों के विशिष्ट योगदान से ही संभव हो सकता है।
- रामासामी ई.वी. पेरिवार अपनी पुस्तक 'जाति व्यवस्था और पितृसत्ता' में कहा है कि "जाति व्यवस्था और पितृसत्ता की प्रथा को समाप्त किए बिना आधुनिक समाज का निर्माण असंभव है । समाज के विकास हेतु स्त्री-पुरुष के मध्य समानता होना अनिवार्य है।" यही विचार देश में लैंगिक समानता की पुष्टि करता है ।
- महिलाओं को रोजगार के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और निशुल्क प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ।

4. निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन से निसंदेह कहा जा सकता है कि भारत पिछले कुछ दशकों से लैंगिक समानता हासिल करने में प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है । लैंगिक समानता एक मानवीय विषय है, जो सभी को प्रभावित करता है इसीलिए लैंगिक समानता तब ही प्राप्त हो सकती है जब समाज और देश स्त्री और पुरुष को समान अधिकार, समान वेतन और दोनों को सफलता के लिए समान मंच उपलब्ध करवा सके । भारतने लैंगिक समानता की दिशा में उल्लेखनीय गति पकड़ी है और सराहनीय प्रयत्न किये हैं, लेकिन यह यात्रा अब भी जारी है । वास्तविक रूप से अब भी समानता हासिल करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने, समान अवसर उपलब्ध करवाने और समावेशी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने पर सामूहिक तौर पर ध्यान देना अति-आवश्यक है ।

सन्दर्भ सूची

1. निशा। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता: कारण एवं समाधान। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड रिव्यू। 2023;9(3) । उपलब्ध: https://www.socialsciencejournal.in/assets/archives/2023/vol9issue3/9071-1684132435715.pdf
2. कुमार सुनील। भारत में लैंगिक असमानता: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च *(IJSR)*। 2013;2(10) । उपलब्ध: https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-research-(IJSR)/recent_issues_pdf/2013/October/October_2013_1493282687__129.pdf
3. सारस्वत ऋतु। लैंगिक समानता की दिशा में सही कदम। माईगॉव इंडिया। उपलब्ध: https://blog.mygov.in/editorial/लैंगिक-समानता-की-दिशा-में/
4. दृष्टि आईएएस। लैंगिक समानता की ओर भारत का मार्ग। दृष्टि आईएएस। उपलब्ध: https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/india-s-road-to-gender-parity
5. पेरियार ई.वी. रामासामी। जाति व्यवस्था और पितृसत्ता। दिल्ली: राधाकृष्णन प्रकाशन; 2020।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

Disclaimer: The views, opinions, statements, and conclusions expressed in the papers, abstracts, presentations, and other scholarly contributions included in this conference are solely those of the respective authors. The organisers and publisher shall not be held responsible for any loss, harm, damage, or consequences — direct or indirect — arising from the use, application, or interpretation of any information, data, or findings published or presented in this conference. All responsibility for the originality, authenticity, ethical compliance, and correctness of the content lies entirely with the respective authors.

© 2026 डॉ. पूनम प्रजापति. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/